न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 34/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी. एम. रोड़, फार्ट, मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय –302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम. आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान। ... प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश शर्मा, दुकान नम्बर 4, 5, 6 तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001।

एवं

वार्ड नम्बर 22, महामंदिर रोड़, लक्ष्मी अपार्टमेंट के पीछे, सीकर, राजस्थान–332001।

एवं

कार्यालय पता :– मारूती कॉम्पलेक्स, किशन कॉलेज के पास, मुख्य बाजार घण्टाघर, सीकर, राजस्थान– 332001। (ऋणी)

2. शकुन्तला शर्मा, निवासी– वार्ड नम्बर 22, महामंदिर रोड़, लक्ष्मी अपार्टमेंट के पीछे, सीकर, राजस्थान–332001।

एवं

दुकान नम्बर 4, 5, 6 तृतीय फ्लोर मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001। (सहऋणी)

...अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: २० अगस्त, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **कैलाश शर्मा, शकुन्तला शर्मा** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में :–

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

(अ) दुकान नम्बर 4, तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 15.54 वर्गगज / 12.99 वर्गमीटर है। निर्मित क्षेत्रफल 139.90 वर्गफीट है जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–
उत्तर में :– कृष्णा प्लॉजा,
दक्षिण में :– कोरीडोर 10 फिट 10 इंच चौड़ा,
पूर्व में :–सीढ़िया, शाफ्ट,
पश्चिम में :– दुकान नम्बर 5

(ब) दुकान नम्बर 5, तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 15.64 वर्गगज / 13.077 वर्गमीटर है। निर्मित क्षेत्रफल 140.76 वर्गफीट है जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–
उत्तर में :– कृष्णा प्लॉजा,
दक्षिण में :– कोरीडोर 10 फिट 10 इंच चौड़ा,
पूर्व में :– दुकान नम्बर 4,
पश्चिम में :– दुकान नम्बर 6, लिफ्ट शाफ्ट

(स) दुकान नम्बर 6, तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 16.21 वर्गगज / 13.55 वर्गमीटर है। निर्मित क्षेत्रफल 145.91 वर्गफीट है जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–
उत्तर में :– कृष्णा प्लॉजा,
दक्षिण में :– दुकान नम्बर 7 व शाफ्ट
पूर्व में :– दुकान नम्बर 5,
पश्चिम में :– अन्य दुकान –बालकनी 4 फिट चौड़ी छोड़कर ऑपन टू स्काई
उक्त सम्पतियां शकुन्तला शर्मा पत्नी कैलाश शर्मा के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2016 के अनुसार लिखी गई है।

को बंधक रखकर **9,23,168/–**रूपये (अक्षरे रूपये **नौ लाख तेईस हजार एक सौ अड़सठ** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **27.12.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **27.12.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया है, जिसकी फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **कैलाश शर्मा, शकुन्तला शर्मा** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक :–

(अ) दुकान नम्बर 4, तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 15.54 वर्गगज/12.99 वर्गमीटर है। निर्मित क्षेत्रफल 139.90 वर्गफीट है जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–
उत्तर में :– कृष्णा प्लॉजा,
दक्षिण में :– कोरीडोर 10 फिट 10 इंच चौड़ा,
पूर्व में :– सीढ़िया, शाफ्ट,
पश्चिम में :– दुकान नम्बर 5

(ब) दुकान नम्बर 5, तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 15.64 वर्गगज/13.077 वर्गमीटर है। निर्मित क्षेत्रफल 140.76 वर्गफीट है जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–
उत्तर में :– कृष्णा प्लॉजा,
दक्षिण में :– कोरीडोर 10 फिट 10 इंच चौड़ा,
पूर्व में :– दुकान नम्बर 4,
पश्चिम में :– दुकान नम्बर 6, लिफ्ट शाफ्ट

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(स) दुकान नम्बर 6, तृतीय फ्लोर, मारूती मार्केट, मारूओं की गली, वार्ड नम्बर 20, चांदपोल गेट के पास, सीकर, राजस्थान–332001 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 16.21 वर्गगज / 13.55 वर्गमीटर है। निर्मित क्षेत्रफल 145.91 वर्गफीट है जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

उत्तर में :– कृष्णा प्लॉजा,

दक्षिण में :– दुकान नम्बर 7 व शाफ्ट

पूर्व में :– दुकान नम्बर 5,

पश्चिम में :– अन्य दुकान –बालकनी 4 फिट चौड़ी छोड़कर ऑपन टू स्काई

उक्त सम्पतियां शकुन्तला शर्मा पत्नी कैलाश शर्मा के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2016 के अनुसार लिखी गई है।

का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक: 20 **अगस्त, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner